संख्या-163/2021/862/22-2-2021-ई-1/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 02 सितम्बर, 2021*

विषय जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अली मुर्तजा पुत्र काले खॉ निवासी जनपद-गाजियाबाद वर्तमान जनपद-हापुड की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 11-02-2021 दिनांक 22-02-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अली मुर्तजा पुत्र काले खॉ, ग्राम-सलाई, थाना-हापुड देहात, जनपद-गाजियाबाद वर्तमान जनपद-हापुड का निवासी है। बन्दी द्वारा पूर्व से दोनो पक्षों के मध्य चली आ रही चुनावी रंजिश के कारण दिनांक 13.07.1983 को 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठियों, देशी तमंचों तथा बंदूकों से फायरिंग कर जरीफ नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी तथा हमले में रियासत ने आंखे गवां दी, मुनाजर की 01 आंख की रोशनी चली गयी व कई अन्य व्यक्ति घायल हुए। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-414/1983 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 307/149 के अन्तर्गत मा0 सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 05.12.1985 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.07.2015 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 04.07.2016 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.09.2020 तक 04 वर्ष 08 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 05 वर्ष 05 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, हापुड ने बन्दी के पुन: अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अली मुर्तजा (बन्दी संख्या-56/2016) पुत्र काले खॉ निवासी जनपद-गाजियाबाद वर्तमान जनपद-हापुड की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-163/2021/862(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-हापुड।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in